तारीख हुक्म	(2) हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गई। आ०का० हो बहस प्रा०प० O.7.R.11 C.P.C. सुनी गई। वास्ते परीक्षण एवं आदेश 12.10.18 को पेश हो।	
12.10.18	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उप० है। समयाभाव के कारण नहीं लिखाया जा सका। वास्ते आदेश प्रा०प० पत्रावली 22.10.18 को पेश हो।	
22/10/2018	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र Order.7. Rule.11. C.P.C. का अवलोकन किया गया। जवाब प्रार्थना पत्र O.7.R.11 पर भी विचार किया गया। बहस विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष पर मनन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है, कि वादी द्वारा अनरजिस्टर्ड इकरारनामा बैनामा के आधार बना कर दावा किया है। अनरजिस्टर्ड इकरारनामें 80 लाख की कीमत का है। उक्त इकरारनामें के अलावा भी वादी व पुलिस ने अन्य कीमत के और इसी भूमि के इकरारनामें बरामद किये है। वादी द्वारा फर्जी तरीके से स्वरचित इकरारनामे तैयार करके फर्जीवाड़ा किया है, जिसके परिणामस्वरूप वादी धारा 420, 467, 468 भा० दण्ड संहिता के मुकदमें में जेल में है। वादी की जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है। वादी को राजस्व न्यायालय द्वारा अन रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर खातेदारी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। वादी द्वारा कर्जकारी क्रूक इकरारनामे तैयार किये गये हैं थाना कोतवाली मुझुनू की F.I.R. नम्बर 511/2017 की प्रति, माननीय न्यायालय सेशन न्यायाधीश महोदय झुंझुनू राजस्थान में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं एवं जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रदत्त आदेशों की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की थी

इसी क्रम में माननीय न्यायालय न्यायिक मजि० महो० झुंझुनू द्वारा प्रदत्त आदेश बाबत जमानत दि. 12.1.18 को माननीय न्यायालय सेशन न्यायाधीश झुंझुनू द्वारा अपने निर्णय दि० 15.1.18 द्वारा बहाल रखा गया है। निर्णय की प्रतियां प्रस्तुत की जा चुकी है। अतः प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर दावा खारिज़ फरमाया जावे।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता वादी का कथन है, कि दावे का निर्णय साक्ष्य के उपरान्त होना है। इकरारनामों को प्रति० ने फर्जी कहा है, जबकि इन इकरारनामों की जांच चल रही है। किसी भी न्यायालय ने इकरारनामों को फर्जी नहीं कहा और ये कूट रचित भी प्रमाणित नहीं हुये हैं। O.7. R.11 C.P.C. का स्कोप सीमित है वाद का विनिश्चय विवाद्यक बिन्दु कायम किया जाकर ही किया जा सकता है। किसी का पुलिस अभिरक्षा या न्यायिक अभिरक्षा में जाने से ही

तारीख हुक्म	(3) हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वह दोषी नहीं हो जाता। किसी भी न्यायालय ने न तो इकरारनामों को फर्जी करार दिया है, और न ही वादी को दोषी। अतः प्रार्थना पत्र O.7 R.11 C.P.C. को भारी खर्चे पर खारिज फरमाया जावे। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन मनन किया। प्रकरण में यह तय है, कि वादी द्वारा अपने वादपत्र के मद नम्बर 1 में वादग्रस्त भूमि का 1 करोड़ 5 लाख रु. में क्रय करना, 80 लाख रु० बेकर इकरारनामा आलेखित करवाना तथा वक्त रजिस्ट्री 25 लाख रु० और दिया जाना स्पष्ट अंकित किया है। वादी द्वारा घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष भी इस न्यायालय से चाहा है और अनुतोष के आलम्बन हेतु उक्त वर्णित इकरारनामे का आसरा लिया है। उक्त वर्णित इकरारनामों की ताईद में इकरार नामें का एक पक्ष अर्थात विक्रेता जो प्रस्तुत प्रकरण में बतौर प्रतिवादी पक्षकार है, वह इन्कार करते है, और फर्जकारी की प्रथम सूचना रिपोर्ट विरुद्ध वादी दर्ज करवाते है। वादी के विरुद्ध इस वाद में वर्णित इकरारनामा जो वादपत्र का आधार है, के क्रम में वादी के विरुद्ध I.P.C. 420, 417 406 में थाना कोतवाली झुंझुनू राजस्थान में F.I.R. नं. 511/2017 पंजीबद्ध है और वादी बतौर अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। वादी द्वारा जमानत याचिका पेश की गई जिसे दि. 12.1.18 को खारिज कर दिया। अपील 15.1.18 को खारिज की गई है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वादी की जमानत की 13.8.18 एवं उक्त आदेश 13.8.18 की अपील 16.8.18 को माननीय न्यायालय सेशन न्यायाधीश झुंझुनु राज० द्वारा खारिज किया दी गई थी जो सम्माननीय न्यायालय द्वारा वादी की जमानत को अस्वीकार करना प्रकरण की गंभीरता को प्रकट करता है क्योंकि उक्त कार्यवाही इस वाद की विचारणीय विषयवस्तु नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में पेश किये गये प्रा० पत्र O.7 R.11 C.P.C., वाद की विषयवस्तु जवाब प्रार्थना पत्र एवं प्रकरण में पेश किये गये दस्तावेजात से यह तय है, कि वादी द्वारा अपने वाद का आलम्बन अन रजिस्टर्ड दस्तावेज इकरारनामें को लिया है R.T. Act 1955 की धारा 63 में वर्णित प्रावधानों के तहत अनरजिस्टर्ड इकरारनामा बेचान से किसी भी खातेदार के खातेदारी अधिकारों का अवसान नहीं होता है प्रकरण में वर्णित इकरारनामा बेचान पर न्यायालय में कर्णकारी की कार्यवाही अपेक्षित है, किन्तु थोड़ी देर के लिये यह मान भी लिया जावे कि कोई कार्यवाही बाबत इकरारनामा बेचान अपेक्षित नहीं है, तो भी विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में वादी को वांछित	

तारीख हुक्म	(5) हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अनुतोष दिया जाना विधि संगत नहीं है क्योंकि R.R.T. 2017(2) भाकराम बनाम सुजाराम में माननीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है, कि, "code of civil Procedure 1908 - order 7 Rule 11. Rejection of Plaint - suit filed on the basis of unregistered sale deed, & Also on the ground of adverse possession - suit is barred by law & not maintainable. held, suit dismissed." यदि वादी द्वारा इकरारनामें में अंकित राशी प्रतिवादीगण को अदा कर दी है, और यदि प्रतिवादीगण बावजूद रकम प्राप्ती वादी को वादग्रस्त भूमि का बेचान की रजिस्ट्री नहीं करवा रहे हैं तो वादी को "स्पेसिफिक परफोरमेंस" का दावा सक्षम सिविल न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिये। अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर खातेदारी दिया जाना राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः वादी का वादपत्र विधि द्वारा वर्जित एवं क्षेत्राधिकार से परे प्रतीत होता है। प्रकरण में गुणावगुण पर सम्यक विचारोपरान्त प्रार्थना पत्र O.7, R.11 C.P.C स्वीकार किया जाकर दावा वादी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर रजिस्टर से खारिज लगाया जावे। निर्णय आज दि. 22/10/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। ह० 22/10/2018 रूपगोपाल [illegible] R.A.S.	